विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2023 के 1-शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
17- (क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-मऊ के क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट में कराये गये विकास कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जॉच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हुआ था?	जी हाँ,
(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र में मुख्य वर्णित बिन्दु क्या थे?	उक्त वर्णित पत्र में मुख्य रूप से क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट के पिछले 05 वर्षों के कार्यकाल की प्रत्येक कच्चे व पक्के कार्यों एवं विभिन्न मदों पर व्यय धन को गम्भीरता से लेते हुए शासन स्तर से टीम गठित कर जांच कराया जाना सुनिश्चित किये जाने का बिन्दु निहित है।
(ग) क्या 473 कार्यो में से 13 कार्यो की जॉच जिलाधिकारी मऊ के निर्देश पर त्रिस्तरीय जॉच कमेटी का गठन कर, जॉचोपरान्त दोषी पाये गये है?	13 कार्यों की जांच हेतु जिलाधिकारी, मऊ द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-मऊ, उपजिलाधिकारी, मऊ एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड जल निगम-मऊ की त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गयी है। प्रश्नगत कार्य राज्य वित्त/चौदहवां वित्त आयोग की धनराशि से कराये जाने के कारण

कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी, मऊ के स्तर पर अपेक्षित है।

शासन के पत्र दिनांक 11-10-2022 में दिये गये निर्देशों के क्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 04-11-2022 एवं मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स, टी0ए0सी0, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 11.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मण्डलीय प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, ग्राम्य विकास आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ द्वारा जिलाधिकारी, मऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में 473 कार्यों के संबंध में उल्लिखित शिकायत बिन्दुओं के क्रम में जांच किये हेतु अनुरोध किया है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(घ)	यदि हॉ, तो दोषियों के विरूद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी?	उपरोक्तानुसार।
(ङ)	यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री।